

विधानसभा को आर.डी.एक्स. से उडाने की धमकी से हड़कंप मचा

सुरक्षा एजेंसियों, डॉग स्कॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाश ली, जांच में विस्फोटक अथवा संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत की सांस ली

जयपुर (कांस)। राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उडाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच में यह धमकी पूरी तरह फर्जी पाई गई। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राज्य के पुलिस महानिदेशक को सूचना दी और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी। एहतियातन विधानसभा परिसर को खाली कराया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और विशेष पुलिस बल ने मौके पर



राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उडाने की धमकी मिलने की सूचना के सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और डॉग स्कॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाश ली।

■ ई-मेल भेजने वालों की तलाश में जुटी है साइबर एजेंसियां, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी

पहुँचकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। एंटी सबोटाज चेक टीम द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से विधानसभा परिसर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित बताया और प्रमाण-पत्र भी जारी किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ईमेल की सामग्री भ्रामक और असंबंधित है, जिसका विधानसभा से कोई लेना-देना नहीं है। ईमेल

में कुछ तथ्यहीन और भटकाने वाली बातें लिखी गई थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए साइबर एजेंसियों द्वारा खोज का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा अधिकारियों और कर्मचारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। जांच पूरी होने के बाद विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पुनः अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और परिसर में सामान्य कामकाज बहाल हो गया।

हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में भी बम विस्फोट की धमकी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में बम विस्फोट करने की धमकी के साथ सोमवार को कोर्ट की आधिकारिक मेल आइडी पर ईमेल भेजे गए। हालांकि हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह सिर्फ धमकी निकली। जानकारी के अनुसार ग्रीष्मकालीन कोर्ट के पहले दिन सुबह जिला न्यायालय की ऑफिशियल मेल आइडी पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इस पर कोर्ट प्रशासन की ओर से स्थानीय थाने सहित आलाधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया। ऐसे में हाईकोर्ट परिसर की भी तलाशी ली गई। दोनों कोर्ट

परिसर में पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के आलाधिकारी और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सेशन कोर्ट परिसर में करीब आधा दर्जन बार बम विस्फोट करने की धमकी देते हुए ईमेल भेजे गए हैं। वहीं हाईकोर्ट में सिरफिरो ने एक दर्जन से अधिक बार ऐसे मेल भेजे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि हर बार मेल मिलने के बाद जांच एजेंसियां आकर परिसर की तलाशी लेती हैं, लेकिन यह सिर्फ धमकी ही साबित होती है। इस दौरान सरकार के लाजों रूप में भी खर्च होते हैं।

पूर्व आई.ए.एस. अग्रवाल की रिमांड अवधि बढ़ाई

जयपुर (कांस)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल के पुलिस रिमांड की अवधि को दो दिन और बढ़ा दी है। हाल ही में अदालत की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। वहीं एसीबी की ओर से प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे जलदाय विभाग के 10 वर्तमान व पूर्व अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। दूसरी ओर अदालत ने सुबोध अग्रवाल की ओर से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है।

एसीबी की ओर से पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी सुबोध अग्रवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ पूरी नहीं हुई है। इसलिए आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाया जाए जिसका विरोध करते हुए सुबोध अग्रवाल के वकील ने कहा कि उन्हें रिमांड प्रार्थना पत्र की कॉपी भी नहीं मिली है और एसीबी ने उनसे लंबे समय

■ न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

■ जल जीवन मिशन में करीब 960 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा प्रकरण

तक पूछताछ कर ली है। ऐसे में अब उनकी रिमांड अवधि को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रिमांड अवधि को दो दिन और बढ़ा दिया है।

वहीं कोर्ट परिसर के बाहर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि मैंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है। फाइनैस कमेटी में 37 में से मात्र चार प्रकरण ही उनके समक्ष आए थे। इससे पूर्व करीब छह सौ करोड़ के 33 प्रकरण आईएएस सुधांशु पंत के समय हुए थे। मैंने एसीबी को बार-बार कहा है कि जिसमें पैसा नहीं दिया गया, उसकी जांच कर रहे हों और जिसमें गबन हुआ उसकी जांच नहीं कर रहे। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया की टेका फर्म भी गणपति टचयूबल और श्री श्याम टचयूबल के संचालकों ने इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचडी के अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए।

सार-समाचार

अश्लेश पंवार व मानसिंह को बधाई दी



जयपुर। सहकारिता विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी अश्लेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने पांचवीं ओपन सेन्ट्रल एशियन हेल्थवॉल पुरुष चौथिनगेशन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। अश्लेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकन्द में 31 मार्च से 5 अप्रैल तक किया गया था। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। अश्लेश पंवार राइट विंग की पाँचजिन पर व मानसिंह शेखावत राइट बैक पाँचजिन पर खेलते हैं। दोनों का ट्रायल के बाद भारतीय टीम में चयन किया गया था। दोनों नेहरू सहकार भवन में मंत्रालयिक कर्मचारी पद पर कार्यरत हैं।

भाजपा पदाधिकारियों का सम्मान किया

जयपुर। मानसरोवर के सेक्टर-12 स्थित सामुदायिक केन्द्र में भाजपा जयपुर शहर के नव नियुक्त पदाधिकारियों कुणाल चौधरी (कोषाध्यक्ष), प्रिया जानानी (महामंत्री) तथा आलोक माथुर (सदस्य) का सार्वजनिक सम्मान किया गया। ये तीनों ही पदाधिकारी सेक्टर-12 मानसरोवर के निवासी हैं। भाजपा के प्रति इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें निम्नद्वारा प्रदान की गई है। सर्वप्रथम समिति के महासचिव श्याम सुन्दर सारास्वत ने भाजपा के सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया तथा प्रत्येक पदाधिकारी की सेवाओं पर प्रकाश डाला, जिसके कारण वे इस मंजिल तक पहुँचे। मनोनीत सदस्य रोधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर कुणाल चौधरी, प्रिया जानानी तथा अममोल माथुर ने इस सेक्टर के विकास में पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सामुदायिक केन्द्र में भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये विधायक कोष से देने तथा सांसद मंजू शर्मा द्वारा सांसद कोटे से 8 लाख रुपये सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति पर आधारित जाता। इस मौके पर सीनियर सिटीजन के संयोजक डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने सेक्टर निवासियों के लिए चौकीदार व्यवस्था सुधारने का सुझाव दिया। महासचिव श्याम सुन्दर सारास्वत ने नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण के बारे में सुझाव दिया।

टेक्नीस ओडिसी आईओएल लॉन्च

जयपुर। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपने प्रिसबायोपिया-कॉरेक्टिंग इंटरऑक्लर लेंस (पीसी-आईओएल) पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए, टेक्नीस ओडिसी आईओएल लॉन्च किया है। यह नया फुल विज़ुअल रेंज आईओएल बेहतर क्वालिटी और लगातार स्पष्ट नजर देने के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए मरीज दूर, पास और बीच की दूरी पर भी साफ देख सकते हैं, जिससे चश्मे पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। इंस्ट्रुटी के थरोसेमंट टेक्नीस फ्लैटफॉर्म पर आधारित यह लेंस एलवांस्ड ऑप्टिक्स और खास मटेरियल के साथ बनाया गया है, जो हर समय साफ और हाई-कॉन्ट्रास्ट विज़न देने में मदद करता है। यह 93 प्रतिशत मरीजों को चश्मे से आजादी देता है और उन्हें हर दूरी पर स्पष्ट और सटीक दृष्टि प्रदान करता है। जॉनसन एंड जॉनसन के सर्जिकल विज़न इंडिया और साउथ एशिया के कंट्री मैनेजर बुर्जिन शाहाना ने यह जानकारी दी।

रवि जैन ने सुनी हैल्पलाइन पर समस्याएं

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विभाग के अधिकारियों की एम्प्लॉय आई डी को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मैपिंग के साथ ही लॉन्च प्रकरणों के शीघ्र समाधान पर विशेष ध्यान देते हुए आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिकायतों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार गत 1 वर्ष से अभी तक में स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े कुल 2.83 लाख प्रकरण संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुए, जिनमें से 2 लाख 70 हजार 812 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। लगभग 55 प्रतिशत परिवारियों ने समाधान पर संतुष्टि जताई। निरीक्षण के दौरान रवि जैन ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवारियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने विभिन्न निकायों में स्ट्रीट लाइट लगवाने, जन्म प्रमाण पत्र बनाने एवं सुधार, आवासीय पत्रों का निस्तारण, नकसे, ले-आउट की स्वीकृति, ट्यूटी हुई नाली की मरम्मत, अन्नपूर्णा रसोई में स्टाफ की कमी एवं भोजन के लिए 8 रुपये की जगह 30 रुपये वसूलने सहित अन्य परिवारियों से बातचीत की।

एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण का आदेश वापस लिया हाईकोर्ट ने

जयपुर (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

रमेश चन्द्र मीणा व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि साल 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार तय अलाइनमेंट के अनुसार रोड निर्माण किया जाए। वहीं रोड का जो हिस्सा राजस्थान

हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम से वसूला जाए। यदि उनसे खर्चा नहीं मिले तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही रोड का निर्माण करे, केवल खर्चे के आधार पर ही रोड का निर्माण कार्य नहीं रोका जाए। इसके अलावा खंडपीठ ने कहा था कि यदि इस रोड के संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई स्ट्रे चल रहा है तो वह इस आदेश में ही समाहित हो जाएगा।

वहीं इस रोड के निर्माण कार्य के संबंध में कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी के दावे को मंजूर नहीं करे। इसके अलावा रोड के निर्माण के दौरान चाहे तो पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को कहा कि एक्टिंग सीजे

बतौर वकील इस याचिका में पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी ओर से मामले की सुनवाई करना उचित नहीं था। अदालत की ओर से आदेश देने के बाद उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है। ऐसे में खंडपीठ इस आदेश को वापस ले।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आदेश वापस लेते हुए इसकी सुनवाई दूसरी खंडपीठ को करने को कहा है। याचिका में कहा था कि सेक्टर प्लान में यह रोड 100 फीट की है, लेकिन कई सालों से इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है। इसलिए रोड का निर्माण कराया जाए।

अम्बेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आज

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में प्रातः 10.30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहेंगे।

गहलोत ने बताया कि बाबा साहेब की जन्म जयंती को (12 से 14 अप्रैल) प्रदेश भर में जिला व उपखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में भवानी निकेतन परिसर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को 1363 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। 29 करोड़ की लागत से निर्मित 10 नवीन छात्रावासों का लोकार्पण व 47 करोड़ की लागत से निर्मित 17 नवीन छात्रावासों का शिलान्यास भी होगा।

शातिर नटवरलाल से पुलिस ने 90 लाख रु. बरामद किए

जयपुर। मुरलीपुरा पुलिस ने शातिर ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शन-प्रतिशत यश बरामद कर ली है। इनकम टैक्स रेंज का खौफ दिखाकर लुट्टी गई राशि की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी के पैतृक आवास तक दबिशा दी।

डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी बाबूलाल वर्मा उर्फ बी.एल. गोयल को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ठगी की शेष राशि अपने मूल

निवास चूरू में छिपा रखी है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने चूरू स्थित उसके घर पर दबिशा देकर 12 लाख 50 हजार रुपये और बरामद किए। अनुसंधान में यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी ने ठगी की राशि का उपयोग अपना पुराना कर्ज चुकाने में किया था। उसने केनरा बैंक (झुझरू) में अपने गोल्ड लोन की अदायगी के लिए 25 लाख रुपये जमा करवाए थे। पुलिस ने बैंक में जमा इस राशि और गोल्ड की सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा अब तक ठगी गई पूरी 90 लाख रुपये की राशि को रिकवर किया।

ऑपरेशन त्रिनेत्र : मादक पदार्थ तस्कर उस्मान की 2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

जयपुर (कांस)। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित काली कमाई के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(1) के तहत अरनोद थाना क्षेत्र के शातिर तस्कर उस्मान खान की करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया है।



प्रतापगढ़ पुलिस ने शातिर तस्कर उस्मान की संपत्ति फ्रीज की।

भारत सरकार की कंपिटेन्ट ऑथोरिटी नई दिल्ली द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, अरनोद थाना पुलिस ने सोमवार को तस्कर और उसके रिश्तेदारों के घर पर फ्रीजिंग के नोटिस चर्चा कर दिए हैं। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि इस कार्यवाही की नींव 21 फरवरी 2026 को पड़ी थी, जब अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा की टीम ने नाकाबंदी के दौरान नारायण लाल मीणा को सवा चार किलो से अधिक ब्राउन शुगर और केमिकल के साथ गिरफ्तार किया था। अनुसंधान में सामने आया कि यह खेप उस्मान पठान निवासी देवदत्त ने सप्लाई करने के लिए भेजी थी। कार्यवाही की भनक लगते ही उस्मान फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। पुलिस जांच में पाया गया कि उस्मान खान मंदसौर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लंबे समय

से तस्करी के धंधे में लिप्त है। पुलिस की वित्तीय जांच में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। उस्मान के पास आय का कोई वैध पैतृक स्रोत या कृषि भूमि नहीं है, फिर भी उसने तस्करी की काली कमाई से कम समय में अकूल संपत्ति जुटाई। उसने देवदत्त में अपनी माता रबीना बी और भाई रहमत के नाम पर 50 लाख रुपये का आलीशान मकान और 1 करोड़ रुपये की लागत वाला फार्माहाउस बनवाया। इसके अलावा आरोपी ने खुद के नाम पर एक स्कॉर्पियो और अपने रिश्तेदार के नाम पर एक फॉरच्यूनर गाड़ी (कीमत 48 लाख) खरीदी। यही नहीं, उसने अपने फार्माहाउस पर करीब 80 लाख रुपये के 5

भाजपा नेता से मांगी पांच करोड़ रु. की रंगदारी

जयपुर (कांस)। बनी पार्क इलाके में गैंगस्टर के नाम से भाजपा नेता को धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप कॉल और वॉइस नोट भेजकर जान से मारने की धमकी दी है।

पुलिस के अनुसार घोया मार्ग निवासी विजय सिंह पलाडा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और नागौर देहात के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि 13, 14 और 16

बाद 12 अप्रैल को फिर से धमकी दी गई। पीड़ित के अनुसार 22 मार्च को इंटरनेशनल नंबर से वॉट्सऐप कॉल कर खुद को वॉरेंड चारण बताने वाले बदमाश ने गोली-गोली करते हुए फिरोती की मांग की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 12 अप्रैल को कथित रूप से नवीन बॉक्सर के नाम से 9 वॉट्सऐप कॉल और 4 वॉइस नोट भेजे गए। कॉल रिसीव नहीं करने पर वॉइस नोट में 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई और पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी में कहा गया

कि जहाँ जाना है चले जाना, तुम्हारे गाँव भी कुछ नहीं कर पाएँगे। वरम निकाल लेना, इतनी गोली मारूंगा कि समझ नहीं आएँगे। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने खुद को हरियाणा का बताते हुए उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कॉल करने वालों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

■ गैंगस्टर के नाम से इंटरनेशनल नंबर से वॉइस नोट और कॉल मिले

■ बदमाशों ने पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी

फरवरी को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग, वॉरेंड चारण गैंग और राहुल फतेहपुर के नाम से धमकियां मिली थीं। इसके

13 मिनट में पार किए 45 लाख रुपये की चांदी के गहने

जयपुर (कांस)। सदर इलाके में अज्ञात नकबजान एक आभूषण कारखाने पर निशाना साधते हुए महज 13 मिनट में 45 लाख रुपये की चांदी पर शह्य साफ कर फरार हो गए। वादात कि जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर नकबजानों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि चांदपोल बाजार स्थित जाट के कुर्एं का रास्ता निवासी व्यापारी बलराम सोनी ने मामला दर्ज कराया है कि रेलवे स्टेशन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर के पास उनका आभूषण निर्माण कारखाना है। जिसके पीछे जैन मंदिर स्थित है। अज्ञात नकबजानों ने मंदिर परिसर का ताता तोड़ा और वहां से कारखाने के अंदर घुसे। कारखाने के अंदर घुसने के बाद अज्ञात नकबजान कार्डर में रखी 20 किलो चांदी के आभूषण कट्टों और थैलों में भरकर ले गए। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि 20 किलो चांदी के आभूषण चोरी करने के बाद शातिर नकबजान मौके से निकले और रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां पर पहले से मौजूद अन्य सदस्य दो महिलाएं और एक पुरुष नकबजानों से मिले और चोरी का सामान उन्हें सौंप दिया।

जामडोली से लापता 14 वर्षीय बालक ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे मिला

पुलिस ने 3 दिन से लापता बच्चे को सकुशल घर पहुंचाया तो खुशी से रो पड़े परिजन

जयपुर (कांस)। राजधानी की जामडोली थाना पुलिस ने मुस्तेदी दिखाते हुए तीन दिन से लापता एक नाबालिक बालक को सुरक्षित दस्तायाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा ने बताया कि सुमेल (जामडोली) निवासी 14 वर्षीय बालक विक्रान्त बुनकर पुत्र बनवारी लाल बुनकर गत 9 अप्रैल को अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना जामडोली में अपहरण की धाराओं (137 (2) बीएनएस) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (आदर्श नगर) लक्ष्मी सुधार के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह कविया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन



तलाशी अभियान चलाया। साथ ही तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालक की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत के बाद बालक विक्रान्त को दिल्ली बाईपास रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे से सकुशल ढूंढ निकाला। पूछताछ में सामने आया कि बालक अपनी स्वेच्चा से घर छोड़कर गया था और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या अपराध घटित होना नहीं पाया गया है। पुलिस ने बालक को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन की इस सक्रियता और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया है।